न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 54/2020

प्रार्थी

जब्बरसिंह पुत्र श्री मूलसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–तंवरी, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही
(2) ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राव, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 20 अक्टूबर, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस क्रमांकः 107 दिनांक 21.8.2020 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व मालकी कब्जे आधिपत्य के भूखण्ड ग्राम तवरी, तहसील व जिला सिरोही में स्थित है जो खसरा संख्या 1926/460 में स्थित है एवं इन भूखण्ड़ों पर प्रार्थी का कब्जा निरन्तर व निर्बाध रूप से शान्तिपूर्ण तरीके से चला आ रहा है। प्रार्थी ग्राम तंवरी का स्थायी निवासी है। ग्राम पंचायत, तंवरी ने आम मुनादि करवाकर ग्राम पंचायत, तंवरी के आबादी भूमि में स्थित भूखण्ड संख्या 70 को प्रार्थी को आम निलामी में विक्रय किया था जिसकी एक चौथाई राशि रुपये 1,32,500/– (रुपये एक लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) ग्राम पंचायत, तंवरी में जरिये रसीद पुस्तक संख्या 5 क्रम संख्या 28 दिनांक 28.1.2019 को जमा करवा दिये थे तथा उक्त भूखण्ड़ का कब्जा भी उसी समय अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को सुपर्द कर दिया था। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत, तंवरी से आम नीलामी में आबादी भूमि में स्थित भूखण्ड संख्या 71 को खरीद किया, जिसकी नीलामी बोली की 1/4 हिस्से की राशि रुपये 1,38,750/– (एक लाख अडतीस हजार सात सौ पचास मात्र) ग्राम पंचायत कार्यालय, तंवरी में जरिये रसीद पुस्तक संख्या 5 क्रम संख्या 29 दिनांक 28.1.2019 को जमा करवा दिये थे, जिसका कब्जा भी उसी समय अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को सुपूर्द कर दिया था। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत, तंवरी से आम नीलामी में प्रार्थी ने ग्राम तंवरी की आबादी भूमि में स्थित भूखण्ड़ संख्या 72 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था एवं इस भूखण्ड़ की नीलामी की 1/4 राशि रुपये 1,68,750/– (रुपये एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) जरिये रसीद पुस्तक संख्या 5 क्रम संख्या 30 दिनांक 28.1.2019 ग्राम पंचायत कार्यालय, तंवरी में जमा करवा दिये थे। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, तंवरी की आबादी भूमि में

पृष्ठ दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

स्थित भूखण्ड़ संख्या 73 को भी आम नीलामी में खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था एवं प्रार्थी ने इस भूखण्ड़ संख्या 73 की नीलामी की 1/4 हिस्से की राशि रुपये 1,40,000/– (रुपये एक लाख चालीस हजार मात्र) ग्राम पंचायत कार्यालय, तंवरी में जरिये रसीद पुस्तक संख्या 5 क्रम संख्या 31 दिनांक 28.1.2019 के द्वारा जमा करवा दिये थे। तब से उक्त भूखण्ड़ संख्या 70, 71, 72 व 73 पर बतौर मालिकाना हक के काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त चारों भूखण्ड़ों के चारों तरफ कांटो की बाड लगाई हुई एवं मौके पर निर्माण सामग्री पत्थर, ईंटे, रेत आदि रखे हुए है। प्रार्थी इन चारों भूखण्डों का उपयोग व उपभोग निर्बाध रुप से बतौर मालिकाना हक से करता आ रहा है। प्रार्थी के इन चारों भूखण्ड़ों की भूमि की पूर्व में किस्म गोचर थी, जो ग्राम पंचायत, तंवरी के आवेदन पर जिला कलेक्टर महोदय सिरोही के आदेश क्रमांकःप. 12(3)()राज/2017/3655–59 दिनांक 07.9.2017 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत, तंवरी को आवंटित की गई थी। जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा ग्राम पंचायत, तंवरी को आबादी विस्तार हेतु आवंटित होने पर ग्राम पंचायत, तंवरी ने आबादी हेतु आवंटित भूमि में भूखण्ड काटकर इन भूखण्ड़ों का आम नीलामी में विक्रय किया है। ग्राम तंवरी के कई व्यक्तियों के पास आबादी भूखण्ड़ों के पट्टे नही है एवं उक्त भूमि पर भी पूर्व से ही कब्जे रखे है व निर्माण कार्य भी किया हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत, तंवरी ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रार्थी के द्वारा आम नीलामी में क्रय किये गये भूखण्ड़ों को दूसरें व्यक्तियों को पट्टे जारी करना चाहती है, इस कारण प्रार्थी के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। जबकि ग्राम पंचायत, तंवरी को इस तथ्य की जानकारी है कि इन भूखण्ड़ों पर प्रार्थी का कब्जा आधिपत्य इन भूखण्ड़ों को आम नीलामी में खरीद कर कब्जा प्राप्त करने के बाद से अनवरत चला आ रहा है। यह कि प्रार्थी ने अपने उक्त खरीद शुदा भूखण्ड़ की बकाया राशि भी ग्राम पंचायत, तंवरी में जमा कराने हेतु तैयार व तत्पर है इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा नियमों की अवहेलना कर इन भूखण्ड़ों के पट्टे दूसरे व्यक्तियों के पक्ष में जारी करना चाहती है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1966 के नियम 156 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति का आबादी भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत है एवं मौके पर अतिचार है तो ऐसे भूखण्ड़ों को पंचायत द्वारा प्रचलित बाजार दर राशि पर नियमन कर पट्टा जारी किया जायेगा। उक्त नियमों के नियम 165(4) में भी यह प्रावधान है कि पंचायत की किसी आबादी भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का प्रचलित बाजार दर अनुसार राशि वसूल कर नियमन कर पट्टा जारी किया गया जायेगा। यह कि ग्राम पंचायत, तंवरी ने प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण के संबंध में नोटिस दिनांक 21.8.2020 को गलत रुप से जारी किया है कि ग्राम पंचायत तंवरी के खसरा नम्बर 1926/460 किस्म आबादी भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट संख्या 14264/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2019 के द्वारा इस भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत, तंवरी को आवंटित उक्त भूमि में गलत रुप से पट्टे जारी करने से ग्राम के दो व्यक्तियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट चाचिका दार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का अनुरोध किया था कि जिस पर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है कि उक्त भूमि को किसी प्रकार बेचे नही व मौके पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही करे, लेकिन ग्राम पंचायत, तंवरी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का गलत विवेचन कर प्रार्थी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस दिनांक 21.8.2020 को निरस्त किया जावे। [illegible] अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण के जवाब में [illegible] करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि [illegible] तंवरी के खसरा संख्या 1926/460

......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

की भूमि पर अपना भूखण्ड होने का कथन किया हैं। खसरा संख्या 1926/460 पूर्व में खसरा संख्या 460 का ही भाग था एवं खसरा संख्या 1168 गोचर भूमि का खसरा था। जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश क्रमांकःपं.12(3)(3)राज/2017/3655–59 दिनांक 07.9.2017 के द्वारा ग्राम तंवरी के खसरा संख्या 460, 1168 व 1619 में से क्रमशः 1.60, 0.48 व 1.60 हेक्टेयर भूमि का गोचर से आबादी विस्तार हेतु आवंटन किया गया था एवं इनके नये खसरा संख्या क्रमशः 1926/460, 1927/1168, 1928/1619 आबादी भूमि के रुप में दर्ज किये गये थे। उक्त भूमि आबादी होने पर आम नीलामी के लिये तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया था जिसमें प्रार्थी ने नीलामी राशि का 1/4 राशि ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवाई थी, लेकिन उस समय किसी भी व्यक्ति को किसी भूखण्ड़ का कब्जा प्रदान नही किया था एवं बाद में जिला कलेक्टर, सिरोही के उक्त आदेश दिनांक 07.9.2017 के विरुद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के विरुद्ध ग्रामवासी तंवरी द्वारा राजस्व अपील संख्या 12/2018 प्रस्तुत की गई, जिसमें राजस्व अपील अधिकारी, तंवरी के निर्णय दिनांक 09.9.2019 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, सिरोही के उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित करने के आदेश दिनांक 07.9.2017 को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को पुनः गोचर भूमि घोषित किया गया था। ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 09.9.2019 के विरुद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील/एल.आर./5148/2019/सिरोही के जरिये चुनौती दी गई जिस पर माननीय राजसव मण्डल, अजमेर ने आदेश दिनांक 19.9.2019 के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 09.9.2019 की पालना व प्रभाव को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित कर दिया। जिस पर उक्त आदेश को ग्रामवासी, तंवरी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 14264/2019 के जरिये चुनौती दी, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2019 को उक्त रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया कि In view of the aforesaid writ petition is allowed, impugned order dated 2019-09-09 is modified to the extent that till the disposal of the appeal, pending before the Board of Revenue, the respondents No. 3 & 4 shall not transfer, alienate or create third party rights qua the disputed land and on the other hand no action shall be taken for giving effect to or enforcing the order of Revenue Appellate Authority. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का यह निर्णय अभी भी प्रभाव में हैं एवं वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रकरण लम्बित है, इस प्रकार उपरोक्त भूमि वर्तमान में भी गोचर भूमि है। जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का कार्य किया जाना माननीय राजस्थान उच्च नयायालय के इस आदेश की अवहेलना है। उक्त भूमि गोचर भूमि है एवं गोचर भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा एवं न ही इस प्रकार के अवैध कब्जे से प्रार्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त होता है तथा निलामी में राशि जमा करने मात्र से प्रार्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा की गई निलामी का सक्षम स्तर पर अनुमोदन होने के पश्चात् ही निलामी समाप्त समझी जाती है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण निलामी राशि जमा करवाये जाने के पश्चात् ही भूखण्ड का कब्जा दिया जाता है परन्तु प्रार्थी ने शेष निलामी राशि कभी भी जमा नहीं करवायी है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित भूखण्ड़ों पर कभी भी कब्जा नहीं रहा और न ही प्रार्थी ने कभी इस बाबत् कोई प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किया है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 [illegible] दर पर भूमि आवंटन का प्रावधान

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है, लेकिन प्रार्थी स्वयं ने निगरानी आवेदन में यह उल्लेखित किया है उसके द्वारा निलामी में भूखण्ड क्रय किये गये है एवं निलामी राशि का 1/4 राशि ही जमा करवाई है तथा उस समय प्रार्थी को कोई भूखण्ड का कब्जा प्रदान नहीं किया है परन्तु प्रार्थी ने दिनांक 16.8.2020 को कांटों की बाड कर रात्रि में अवैध कब्जा किया है जिसको हटाने के लिए ग्राम पंचायत ने नियमानुसार प्रार्थी को नोटिस प्रदान किया परन्तु प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण न हटाकर झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की हैं। यह कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.8.2020 को अतिक्रमण किया है. परन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 04.10.2020 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया था जो आज भी प्रभावी है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस क्रमांकः 107 दिनांक 21.8.2020 को इस आशय का जारी किया गया है कि ग्राम पंचायत, तंवरी के खसरा संख्या. 1926/460 की भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 04.10.2019 से स्थगन आदेश जारी किया हुआ है एवं राजस्व मण्डल न्यायालय, अजमेर में वाद संख्या 5148/2019 विचाराधीन है, इसकी जानकारी होते भी इस भूमि पर दिनांक 16.8.2020 को रात्रि में कांटो की बाड कर अवैध रुप से अतिक्रमण किया है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की है, इसलिये खसरा संख्या 1926/460 किस्म आबादी भूमि पर किया गया अवैध अतिक्रमण तीन दिवस में हटा देवे, अन्यथा ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा उचित कार्यवाही कर हटा दिया जायेगा।

इस संबंध में प्रार्थी का कथन यह है कि ''खसरा संख्या 1926/460 की भूमि जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा ग्राम पंचायत, तंवरी को आबादी विस्तार हेतु आवंटित होने के बाद ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा इस खसरे की भूमि में भूखण्ड़ सख्या 70, 71, 72 व 73 को प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, तंवरी से आम नीलामी में अधिक बोली पर खरीद थे एवं एवं नीलामी की 1/4 राशि ग्राम पंचायत कार्यालय, तंवरी में दिनांक 28.1.2019 को जरिये रसीद जमा करवा दी थी और ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा इन भूखण्ड़ों का कब्जा प्रार्थी को सुपर्द किया था, तब से प्रार्थी इन भूखण्ड़ों पर काबिज चला आ रहा है।'' जबकि अप्रार्थी पक्ष का यह कथन है कि ''जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश क्रमांकःपं.12(3)(3)राज/2017/3655–59 दिनांक 07.9.2017 के द्वारा ग्राम तंवरी के खसरा संख्या 460, 1168 व 1619 में से क्रमशः 1.60, 0.48 व 1.60 हेक्टेयर भूमि का गोचर से आबादी विस्तार हेतु आवंटन किया गया था एवं इनके नये खसरा संख्या क्रमशः 1926/460, 1927/1168, 1928/1619 आबादी भूमि के रुप में दर्ज किये गये थे। उक्त भूमि आबादी होने पर आम नीलामी के लिये तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड़ों का विक्रय किया था जिसमें प्रार्थी ने नीलामी राशि का 1/4 राशि ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवाई थी, लेकिन उस समय किसी भी व्यक्ति को किसी भूखण्ड़ का कब्जा प्रदान नही किया था।''

पत्रावली पर दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःपं.12(3)(3)राज/2017/3655–59 दिनांक 07.9.2017 के विरुद्ध ग्राम तंवरी के नागरिक पन्नाराम पुत्र नरसाजी कलबी, निवासी–तंवरी व अन्य द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा ... के तहत अपील प्रस्तुत की गई। इस राजस्व अपील संख्याः 12/2018 में ... राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.9.2019 के ... स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, सिरोही के आवंटन आदेश ...3((3)राज/राज/2017/3655–59

......पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

दिनांक 07.9.2017 को अपास्त किया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 07.9.2017 के विरुद्ध ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील/एल.आर./5148/2019/सिरोही में पारित आदेश दिनांक 19.9.2019 के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 09.9.2019 की पालना एवं प्रभाव को आगामी नियत दिनांक तक स्थगित रखा गया। माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.9.2019 के विरुद्ध उक्त पन्नाराम पुत्र नरसाजी कलबी, निवासी— तंवरी व अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्याः 14264/2019 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2019 को यह आदेश पारित किया गया है कि "In view of the aforesaid writ petition is allowed, impugned order dated 2019-09-09 is modified to the extent that till the disposal of the appeal, pending before the Board of Revenue, the respondents No. 3 & 4 shall not transfer, alienate or create third party rights qua the disputed land and on the other hand no action shall be taken for giving effect to or enforcing the order of Revenue Appellate Authority."

इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम तंवरी के खसरा संख्या 1926/460 की भूमि के संबंध में स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए प्रार्थी ने उक्त खसरा संख्या 1926/460 की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। चूंकि उपलब्ध भूं अभिलेख अनुसार प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत, तंवरी के नाम आबादी भूमि के रुप में दर्ज है, तथा ग्राम पंचायत, तंवरी प्रकरण में पक्षकार होने से इसका यह कर्तव्य है कि वह मौके पर उक्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करवाए, अतः ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने एवं भूमि के संरक्षण के लिए यदि प्रार्थी को नोटिस जारी किया है तो वह किसी भी दशा में विधि एवं विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध नही माना जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। ऐसी स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20 अक्टूम्बर, 2023 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:33 IST
Reason: SelfAttested